



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 10.02.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा 01 जुलाई 2023 से 25 जनवरी 2024 तक कुल 479 अभियुक्तों को विभिन्न अवधि के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये गया, जिसके परिणामस्वरूप जनपद बिजनौर को प्रदेश स्तर पर छठा स्थान प्राप्त हुआ है।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण/नोडल अधिकारी, ऑपरेशन कन्विक्शन के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप **01 जुलाई 2023 से 25 जनवरी 2024 तक मा0 न्यायालय द्वारा कुल 479 अभियुक्तों को विभिन्न अवधि के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जनपद बिजनौर को प्रदेश स्तर पर छठा स्थान प्राप्त हुआ।**

दिनांक 01.07.2023 से दिनांक 25.01.2024 तक दण्डित किये गये अभियुक्तों का विवरण –

क्र0सं0	सनसनीखेज अपराधों में सजा (हत्या, लूट, चोरी आदि)	पॉक्सो/बलात्कार में सजा	अन्य प्रकरणों में सजा	कुल दण्डित किये गये अभियुक्त
1.	57	46	376	479

क्र0सं0	मृत्युदण्ड	आजीवन कारावास	20 वर्ष या इससे अधिक अवधि से दण्डित किये गये अभियुक्त	10 वर्ष से 19 वर्ष तक की अवधि से दण्डित किये गये अभियुक्त	10 वर्ष से कम अवधि से दण्डित किये गये अभियुक्त
1.	1	18	5	16	439



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक 10.02.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 72/2024 धारा 379/411 भादवि से संबंधित तीन अभियुक्तों को चोरी की शाफ्ट सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.02.2024 को वादी श्री फईम अहमद पुत्र श्री हसमत अली निवासी ग्राम मानपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी के बन्द पड़े कोल्हू से 8 फीट लम्बी व करीब 55 कि0ग्रा0 वजनी शाफ्ट को चोरी कर लिया गया । तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 72/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियुक्तगण 1.बलजीत सिंह पुत्र रामचरन सिंह, 2. सुमित पुत्र योगेन्द्र सिंह व 3. आशाराम पुत्र शीशराम समस्त निवासीगण ग्राम मानपुर थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये ।



कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी/लूट आदि की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.बलजीत सिंह पुत्र रामचरन सिंह, 2.सुमित पुत्र योगेन्द्र सिंह व 3.आशाराम पुत्र शीशराम समस्त निवासीगण ग्राम मानपुर जनपद बिजनौर को उपरोक्त घटना में चोरी की गई शाफ्ट व परिवहन में प्रयुक्त एक ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

- 1.बलजीत सिंह पुत्र रामचरन सिंह निवासी ग्राम मानपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.सुमित पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मानपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.आशाराम पुत्र शीशराम सिंह निवासी ग्राम मानपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण:-

- 1.चोरी की गई शाफ्ट (08 फीट लम्बी व 55 कि0ग्रा0 वजनी)
- 2.परिवहन में प्रयुक्त एक ई-रिक्शा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 48 आदेश ढाका थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 1872 हेमन्त थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक 10.02.2024

थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 21/2024 धारा 307/504/506 भादवि से संबंधित अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) पर लेकर घटना में प्रयुक्त अवैध तमन्चा बरामद किया गया ।

कार्यवाही :-

दिनांक 20.01.2024 को वादी श्री विकास कुमार पुत्र शीशराम सिंह नि0 ग्राम जिरौठी थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर अभियुक्तगण 1.केदार पुत्र शीशराम, 2.प्रशान्त पुत्र केदार व 3.अंकुल पुत्र अमर सिंह द्वारा वादी व वादी के परिजनो के साथ गाली गलौच करने व अभियुक्त प्रशान्त द्वारा वादी के पुत्र पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करने के संबंध में मु0अ0सं0 21/2024 धारा 307/452/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया । दिनांक 02.02.2024 को अभियुक्त प्रशान्त उपरोक्त द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया ।



आज दिनांक 10.02.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा जेल में निरुद्ध अभियुक्त प्रशान्त को माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर पीसीआर पर लाया गया तथा अभियुक्त प्रशान्त की निशांदाही पर उपरोक्त घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 32 बोर को बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त का नाम व पता :-

प्रशान्त पुत्र केदार निवासी ग्राम जिरौठी थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण:-

घटना में प्रयुक्त अवैध तमन्चा 32 बोर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रशान्त उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 11/2017 धारा 188 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 21/2024 धारा 307/504/506 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।

पुलिस टीम का विवरण :-

- 1.उ0नि0 श्री बृजराज सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 359 रविशंकर थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 1513 अनुज कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना शेरकोट

दिनांक 10.02.2024

थाना शेरकोट पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना शेरकोट पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान अभियुक्त अकील उर्फ अचकी पुत्र बाबू नि० मौ० पहाड़ी दरवाजा पक्का बाग थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना शेरकोट पर मु०अ०सं० 29/2024 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

अकील उर्फ अचकी पुत्र बाबू नि० मौ० पहाड़ी दरवाजा पक्का बाग थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

01 अवैध चाकू ।

आपराधिक इतिहास –

- 1.मु०अ०सं० 21/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.मु०अ०सं० 47/2019 धारा 60 आबकारी अधि० थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.मु०अ०सं० 109/2019 धारा 60 आबकारी अधि० थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4.मु०अ०सं० 113/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 5.मु०अ०सं० 224/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 6.मु०अ०सं० 528/2018 धारा 399/402 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 7.मु०अ०सं० 530/2018 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 8.मु०अ०सं० 29/24 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ०नि० श्री गौरव कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.का० 1731 गजेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 3.का० 979 सचिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक:- 10.02.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.02.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	नहतौर	बसंत कुमार पुत्र जयसिंह नि० ग्राम दबथला थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2.	किरतपुर	इस्लाम पुत्र बरकत अली नि० मौ० अहमदखेल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3.	शेरकोट	खूब सिंह पुत्र हरि सिंह नि० शादनगर उर्फ शादताबाद थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
4.	चांदपुर	अरविन्द कुमार बंसल पुत्र प्यारेलाल बंसल नि० मौ० कटरामल कस्बा चांदपुर
5.	चांदपुर	सोनू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम लुहारपुरा



थाना नहतौर



थाना किरतपुर



थाना शेरकोट



थाना चांदपुर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नजीबाबाद

दिनांक 10.02.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 58/2024 धारा 380/411 भादवि से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी आदि की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त तपेन्द्र सुनार पुत्र तुकबहादुर सुनार निवासी ग्राम पातावार थाना शांति बाजार जनपद बरदिया नेपाल को चोरी किये गए दो मोबाईल फोन व एक सफेद धातु के लॉकेट सहित गिरफ्तार



किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 58/2024 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

तपेन्द्र सुनार पुत्र तुकबहादुर सुनार निवासी ग्राम पातावार थाना शांति बाजार जनपद बरदिया नेपाल ।

बरामदगी विवरण:-

- 1.दो मोबाईल फोन (माइक्रोमैक्स व IKALL)
- 2.एक सफेद धातु का लॉकेट ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री रामवीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 105 सोमपाल सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ़

दिनांक 10.02.2024

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपा उर्फ मोटी पत्नी महेश चौहान निवासी ग्राम सीरवासुचन्द थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना



अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 41/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

दीपा उर्फ मोटी पत्नी महेश चौहान निवासी ग्राम सीरवासुचन्द थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण:-

10 लीटर अवैध कच्ची शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.हे0का0 718 सचिन चौधरी थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
- 2.म0का0 1416 आरती रानी थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर